न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना

—: आदेश :—

02-0?-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–365 / 2012 में आवेदक **श्री पिंटु कुमार सिंह,** पिता–श्री विनय कुमार सिंह, सा0–बाजार समिति, बहादुरपुर बगीचा, थाना–बहादुरपुर, जिला–पटना के नाम एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की गई।

आवेदक उपस्थित। आवेदक द्वारा बताया गया कि वे एक बिजनेश मैन हैं तथा उनकी वार्षिक आय लगभग 1,50,000 / –(एक लाख पचास हजार) रूपये प्रति वर्ष है। आवेदक द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किथा गया, परन्तु सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक–1529 / गो0, दिनांक–06.12.2012 का अवलोकन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। सहायक पुलिस अधीक्षक, पटना सिटी द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, सुलतानगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक को किसी प्रकार का किसी के द्वारा कोई धमकी नहीं दी गयी है एवं थाना में भी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गयी है। थानाध्यक्ष द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की कंडिका–10 अन्तर्गत आवेदक को कोई विशेष सुरक्षा भय होने की बात प्रतिवेदित नहीं की गयी है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 की कंडिका–II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :–

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका–II की उप कंडिका–b तथा e निम्नवत है :–

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते

हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/आशंका नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0—V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक—31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक **पिंटु कुमार सिंह,** पिता—श्री विनय कुमार सिंह, सा0—बाजार समिति, बहादुरपुर बगीचा, थाना—बहादुरपुर, जिला—पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

-10-

प० 365/2013

जिला शा० अधि०

उक्त प्रकरण में [illegible] के निर्णय के विरुद्ध [illegible] हेतु [illegible]

प्रतिलिपि [illegible] को [illegible] हेतु [illegible]

[illegible] की स्थिति में प्राप्त [illegible]

अनुमोदनार्थ

[signature] 10/5/13

[signature] 10/5/2013

श्री जि० प०

कृपया उपर्युक्त टिप्पणी

प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

[signature]
10/05/13

[signature]